न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल(आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 183/2014 (2014/00460)

अनवान

1. बालू सिंह पिता भीमसिंह राव नि.जाई पुलिस थाना कोतवाली , चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. प्रबंधक महोदय, बिडला सीमेंट वर्क्स , हमीवासयिा साहब, माधव नगर चन्देरिया , थाना चन्देरिया , जिला चित्तौडगढ
2. मकबुल खान मैनेजर बिडला सीमेंट वर्क्स, जाई सुरजना माईन्स , ग्राम जाई , पोस्ट सेमलपुरा , थाना कोतवाली चित्तौडगढ
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 183—188—92 (क)—209 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री बगदीराम धाकड अधिवक्ता वादी

श्री पवन व्यास अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183—188—92 (क)—209 आर.टी.ए. का ग्राम जाई की आराजी संख्या 118/11 (118 मीन) रकबा 0.20 हे. के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जैर बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र बाबत् 07 नियम 11 जा. दी. इस आशय का प्रस्तुत किया किया कि वाद वादी कोई वाद कारण प्रकट नहीं करता । वादी ने यह वाद जानबूझकर माननीय न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यो को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है और पूरा का पूरा वाद पूर्णतः निराधार व झूठा है । वादी की उक्त आराजी भू—राजस्व अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानो के अन्तर्गत माननीय अपर कलेक्टर सा चित्तौडगढ के

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रण संख्या 31/2003 राजस्व विविध बिरला कॉर्पोरेशन विरूद्ध बालू सिंह के प्रकरण मे निर्णय दिनांक 20.02.2004 द्वारा भूमि अवाप्ति के आदेश होकर भूमि बिरला कॉर्पोरेशन की इकाई बिरला सीमेन्ट वर्क्स में सन्निहित हो गयी और तभी से उक्त भूमि पर उनका वैध कब्जा चला आ रहा है और वादी के आरोप मिथ्या है । यही नही उसके सम्बन्ध में चूंकि वादी ने मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की, अतः नियमानुसार मुआवजा की राशि रूप्ये 9,47,730/— माननीय जिला न्यायाधीश के यहां सिविल डिपोजिट के रूप में जमा कराये जा चुके है और इस राशि को वादी वहा से उठा सकता है।

यही नही वादी क्योंकि अवार्ड की राशि से असन्तुष्ट था , अतः उसने माननीय जिला न्यायाधीश , चित्तौडगढ के यहां उक्त राशि बढाने के लिए रेफरेंस का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और वह रेफरेंस का प्रार्थना पत्र भी माननीय अपर जिला न्यायाधीश चित्तौडगढ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वादी ने यह वाद पूर्णत झूठा किया है और एक बार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात इस प्रकार का कोई वाद पोषणीय नही है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज करने का निवेदन किया ।

अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की प्रति उपलब्ध करवाई जाकर जवाब हेतू प्र्याप्त अवसर दिए गए परन्तु अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। नियत दिनांक को पत्रावली न्यायालय के समक्ष बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता हेतू पेश हुई ।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात माननीय अपर कलेक्टर सा चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 31/2003 निर्णय दिनांक 20.02.2004 द्वारा भूमि अवाप्ति के आदेश होकर भूमि बिरला कॉपोरेशन की ईकाई मे सन्निहित हो गयी है और तभी से उक्त भूमि पर वैध कब्जा चला आ रहा है। अत एक बार अवाप्ति की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात इस प्रकार का वाद पोषणीय नही होने

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

आदेश 07 नियम 11 जा.दी के तहत निरस्त किए जाने का अनुरोध किया इसके विपरित अधिवक्ता वादी ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे विदित हुआ हो कि वाद ग्रस्त भूमि अवाप्त हो गई हो और न ही राजस्व रेकार्ड मे अवाप्त का कई दाखिला लगा हो ऐसी सूरत मे प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र बिना तथ्यो के निराधर होने से प्रार्थना 07 नियम 11 जा.दी खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के निष्कर्ष पर पहुचने से पूर्व एक नजर विधिक प्रावधनो की रोशनी पर जो कि इस प्रकार है :–

विशेष :– विधिक प्रावधानो के अनुसार आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ मे नामंजूर किया जावेगा।

(क) जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पपर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है ,

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है , किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर , जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है

(घ) जहाँ वाद पत्रं के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ङ) जहाँ यह दो प्रतियों मे फाइल नही किया जाता है

(च) जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन का अनुपालन करने मे असफल रहता है

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत् कब्जेयाबी एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने जो मुख्य आपत्ति अपने प्रार्थना

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मे उठाई है कि वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय अपर कलेक्टर सा चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 31/2003 निर्णय दिनांक 20.02.2004 द्वारा भूमि अवाप्ति के आदेश होकर भूमि बिरला कॉपोरेशन की ईकाई मे सन्निहित हो गयी है और तभी से उक्त भूमि पर वैध कब्जा प्रतिवादी कम्पनी का चला आ रहा है। अत : एक बार अवाप्ति की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात इस प्रकार का वाद पोषणीय नही होता है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त आपत्ति के समर्थन मे माननीय अपर क्लेक्टर सा. चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 31/2003 निर्णय दिनांक 20.02.2004 के निर्णय की फोटो प्रति , अवार्ड की राशि बढाने के सम्बन्ध मे रेफरेंस प्रार्थना पत्र 123/2007 निर्णय दिनांक 28.02.2013 की निर्णय की प्रति एंव अन्य दस्तावेज पेश किए है।

उपरोक्त दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि अवाप्त होकर अवार्ड जारी हो गये है तथा वादी ने अवार्ड की राशि से असन्तुष्ट होकर रेफरेस प्रार्थना पत्र बाबत् अवार्डस की राशि बढाने का सम्बन्धित न्यायालय मे पेश किया है । अत ऐसी सूरत मे वक्त बहस वादी का यह तर्क की वाद ग्रस्त भूमि अवाप्त नही हुई है जिसका कोई औचित्य प्रतीत नही होता है क्योंकि वाद ग्रस्त भूमि अवाप्त हुई है तभी तो वादी ने अवार्डस की राशि बढाने का रेफरेंस प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय मे पेश किया है। अब रहा सवाल राजस्व रेकार्ड मे वाद ग्रस्त भूमि के अवाप्त होने के दाखिले से तो यहा यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि राजस्व रेकार्ड मे दाखिला एक FISCAL PROCEEDINGS है जो कि अति महत्वपूर्ण नही है। इसके साथ ही वादी ने कोई ऐसा तथ्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया जिससे जाहिर हो सके कि वादी ने उक्त अवाप्त की गई कार्यवाही के खिलाफ कई सक्षम न्यायालय मे चाराजोही की हो ।

अतः ऐसी सूरत मे वाद ग्रस्त भूमि अवाप्त हो जाने से अवाप्त की गई भूमि पर सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से वादी का वाद पत्र क्षेत्राधिकारिता के विधिक बिन्दू पर पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो के तहत खारीज किए जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश मे प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो (घ) की रोशनी मे प्रकाशमान प्रतीत होता है।

अत : प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा. दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो के अनुसार वादी का वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का न होने से विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. बालू सिंह पिता भीमसिंह राव नि.जाई पुलिस थाना कोतवाली , चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. प्रबंधक महोदय, बिडला सीमेंट वर्क्स , हमीवासयिा साहब, माधव नगर चन्देरिया , थाना चन्देरिया , जिला चित्तौडगढ
2. मकबुल खान मैनेजर बिडला सीमेंट वर्क्स, जाई सुरजना माईन्स , ग्राम जाई , पोस्ट सेमलपुरा , थाना कोतवाली चित्तौडगढ
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी
प्रकरण संख्या : 183/2014 (2014/00460)

अप्रार्थी/ वादी की ओर से वकील श्री बगदीराम धाकड की, और प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता पवन व्यास की उपस्थिति में यह प्रार्थना पत्र (07 नियम 11 जा.दी.) आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का नही होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

यह आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner